

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.7(9)नविवि / 2017

जयपुर, दिनांक:- १२/४/१८

आदेश

**विषय:-** अवाप्त भूमि/सेक्टर रोड के बदले व अन्य भूमि के बदले भूमि देने के प्रकरणों बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि अवाप्ति/सेक्टर रोड में प्रभावित भूमि के प्रकरणों में नगर विकास न्यासों/प्राधिकरणों द्वारा भूमि के बदले विकसित भूमि दी जाती रही है। इस संबंध में पूर्व में जारी विभागीय आदेश दिनांक 22.12.2014 के अनुसार विकसित भूमि दिए जाने के संबंध में निम्न प्रावधान है:-

“यदि अवाप्तशुदा भूमि के बदले आवासीय भूमि का आवंटन उसी स्थान पर किया जाता है तो प्रार्थी को निर्मित भवन का अलग से मुआवजा देय नहीं होगा। उसी योजना में किसी अन्य स्थान पर आवासीय भूमि आवंटित किये जाने की स्थिति में निर्मित भवनों का अलग से मुआवजा देय होगा.....।”

उपरोक्त प्रावधान के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विकसित भूमि जिस योजना के लिए अवाप्त की गई है, उसी योजना में दी जावें। इसके अलावा सेक्टर रोड व अन्य कार्यों हेतु ली जाने वाली भूमि के बदले भूमि भी उसी स्थान/क्षेत्र/योजना में दी जावें। उस योजना में भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र भूमि दी जाती है तो ऐसे आवंटन की औचित्य सहित राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जावें।

भवदीय,  
१२/४/१८  
(राजन्द्र सिंह शेखावत)  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोय, नगरीय विकास, आवासान विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. नीजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासान विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
5. जिला कलक्टर (समस्त) राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
9. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग
11.  वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

५८  
(२०१८)

12. श्री आर.के.पारीक, विशेषाधिकारी / परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, नगर नियोजक भवन जेडीए जयपुर के पास।
13. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

४२  
उप विधि परामर्शी